Gen. No. 1

विविध बैंक प्रकरण सं0 96/2017(RCMS-2017/00182) ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा 13 एल एन पी, टांटिया यूनिवर्सिटी, श्रीगंगानगर बनाम 1. मनोज डोडा पुत्र चिमनलाल डोडा 2. आशा डोडा पत्नि मनोज डोडा, 3. मनीष डोडा पुत्र मनोज डोडा निवासी जी–11, हनुमान नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.06.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का लिखित में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र बैंक के अभिभाषक की ओर से श्री जितेन्द्र सरपाल द्वारा पेश किया गया। जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की ऋण राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक इसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसलिए इसी स्तर पर स्तर पर खारिज कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा 13 एलएनपी, टांटिया यूनिवर्सिटी, श्रीगंगानगर के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ऋणियों मनोज डोडा, आशा डोडा एवं मनीष डोडा के विरूद्ध धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के **तहत आवासीय मकान जी–11, हनुमान नगर, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1225 वर्ग फीट) का भौतिक कब्जा दिलवाने** के लिए पेश **किया था और अब प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में प्रार्थना की गई है कि उनकी ऋण राशि वसूल हो चुकी है। इसलिए वे अब इस प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए इसी आधार पर प्रार्थी बैंक प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

चूंकि प्रार्थी बैंक की ऋण राशि वसूल हो चुकी है और अब इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर